

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 86/2022 (2022/267)

1. खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा निवासी मीणो का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।

—वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री लादू जाति मीणा।
2. दिलखुश पुत्र लादू जाति मीणा।
2. राजू पुत्र लादू जाति मीणा।
3. सीता पत्नि लादू जाति मीणा।
4. हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा।
निवासीगण मीणो का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

1. श्री नवल किशोर पारीक—वकील वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,92ए एवं 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

—:: निर्णय ::—

दिनांक 21.6.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,92ए,209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत पेश किया, कि ग्राम मीणों का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है आराजीयात का विवरण निम्न प्रकार है:—

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	रकबा
78-75	1167	0.14	चाही 1
	1168	0.31	चाही 1
	47	0.21	नहरी 2
	492	0.20	नहरी 2
	493	0.18	नहरी 2
	583	0.62	वारानी 1
	584	0.96	वारानी 1
	585	0.23	वारानी 1
	586	0.58	वारानी 1
	कुल किता 9	कुल रकबा 3.43 हैक्टर	

उक्त प्रकरण में वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है वादग्रस्त आराजीयात वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5, के संयुक्त कब्जे काश्त, स्वामित्व व आधिपत्य में



(Handwritten Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)


चली आ रही है जिसमे वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 नियत बंद हो गयी है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की संयुक्त कब्जे, काश्त स्वामित्व व आधिपत्य आराजीयात में विना विधिवत बटवारे के वादग्रस्त आराजीयात को बेचने पर उतारू है अतः राजस्व रिकोर्ड को संयुक्त खातेदार में रखना सम्भव नहीं है अतः वाद वर्णित आराजीयात का बँटवारा किया जाना न्यायोचित है वाद प्रस्तुत करने का कारण दिनांक 02.5.2022 को जब प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 ने वादग्रस्त आराजीयात पर कुछ लोगों को लेकर आय जमीन दिखाई एवं उसे बेचने की मंशा जाहिर की है पैरा संख्या 1 की वादग्रस्त आराजीयात वाबत वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य बटवारा किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। पैरा संख्या 1 की वादग्रस्त आराजीयात वाबत वादी, प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के मध्य बँटवारा किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में विभाजन के अनुसार इन्द्राज किया जावे तथा राजस्व नक्शे भी विभाजन के अनुसार ही तरमीम की जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के हिस्से को अलग-अलग दर्शित किया जाकर अलग-अलग लगान कायम किया जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण वावजूद तामिली अनुपस्थित रहे उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक्सपार्टी की गई। वकील वादी द्वारा टिप्पणी अंकित कर बताया कि शहादत वादी पेश नहीं करना चाहते मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बटवारा किये जाने से सहमत है वकील वादी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वकील वादी को सुना गया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। आराजी ग्राम मीणो का नयागॉव तहसील केकडी जिला अजमेर के खाता संख्या नया-पुराना 78-75 के खसरा संख्या 1167, 1168, 47, 492, 493, 583, 584, 585, 586 रकबा 0.14, 0.31, 0.21, 0.20, 0.18, 0.62, 0.96, 0.23, 0.58 हैक्टर कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.43 में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है अतः तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर ग्राम मीणो का नयागॉव तहसील केकडी के खाता संख्या 78-75 के खसरा संख्या 1167, 1168, 47, 492, 493, 583, 584, 585, 586 रकबा 0.14, 0.31, 0.21, 0.20, 0.18, 0.62, 0.96, 0.23, 0.58 हैक्टर कुल कित्ता 9 कुल रकबा 3.43 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में रिकोर्ड अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कर प्रत्येक का हिस्सा अलग-अलग रंगों से दर्शित करते हुये। राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित प्रपत्र में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

डिकरी व मुकदमे इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6 व 7 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedur Code Appndix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम केकड़ी
प्रारम्भिक डिकरी

व इजलास श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
राजस्व वाद संख्या 86/2022 (2022/267)

1. खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा निवासी मीणों का नयागाव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

—वादी

वनाम

1. अनिता पुत्री लादू जाति मीणा।
2. दिलखुश पुत्र लादू जाति मीणा।
3. राजू पुत्र लादू जाति मीणा।
4. सीता पत्नि लादू जाति मीणा।
5. हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा।
निवासीगण मीणों का नयागाव तहसील केकड़ी जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

—प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 53,92ए,209 राज0 काश्तकारी अधि0
निर्णय:- 21.6.2022

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकड़ी बहाजिरी श्री नवल किशोर पारीक वकील वादी, पैरोकार सरकार उपस्थित होकर हुकम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी का वाद वर्णित आराजी ग्राम ग्राम मीणों का नयागाव तहसील केकड़ी जिला अजमेर के खाता संख्या नया-पुराना 78-75 के खसरा संख्या 1167, 1168, 47, 492, 493, 583, 584, 585, 586 रकबा 0.14, 0.31, 0.21, 0.20, 0.18, 0.62, 0.96, 0.23, 0.58 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 3.43 में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ल.ायत 4 प्रत्येक का 1/24 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है अतः तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है कि व स्वयं मौके पर जाकर ग्राम मीणों का नयागाव तहसील केकड़ी के खाता संख्या 78-75 के खसरा संख्या 1167, 1168, 47, 492, 493, 583, 584, 585, 586 रकबा 0.14, 0.31, 0.21, 0.20, 0.18, 0.62, 0.96, 0.23, 0.58 हैक्टर कुल किता 9 कुल रकबा 3.43 हैक्टर का विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में रिकॉर्ड अनुसार गिटस एण्ड वाउण्डस के आधार पर तैयार कर प्रत्येक का हिस्सा अलग-अलग रंगों से दर्शित करते हुये। राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित प्रपत्र में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। खर्चा फरिफेन अपना-अपना वहन करें। प्रारम्भिक डिकरी पर्चा जारी किया जाता है।

बीज मुवलिक..... वावत.....

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक.....
.....को अदा करे

वसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 21.6.2022 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

मुद्दे	रुपया	पसा	मुद्दयलाद	केकड़ी (अजमेर)
स्टाम्प अजी दावा	0	0	स्टाम्प अजी दावा	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजत समुत			स्टाम्प वजत समुत	
महानताना वकील			महानताना वकील	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
वावत इजराय हुकमनामा			वावत इजराय हुकमनामा	
मुताफरिफ			मुताफरिफ	
	0	0	मीजान	0

नोट- इस खर्च के काम पर कुल खर्चा हर दो फरिफेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहा दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 86/2022 (2022/267)

1. खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा निवासी मीणो का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।

--वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री लादू जाति मीणा।
2. दिलखुश पुत्र लादू जाति मीणा।
3. राजू पुत्र लादू जाति मीणा।
4. सीता पत्नि लादू जाति मीणा।
5. हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा।
निवासीगण मीणो का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

--प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

1. श्री नवल किशोर पारीक-वकील वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,92ए एवं 209 राज.काश्तकारी अधिनियम


--: निर्णय :-

दिनांक 20.09.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अंतर्गत धारा 53,92ए एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया कि आराजी कस्बा नयागाँव तहसील केकडी की जमाबन्दी स. के खाता संख्या नया-पुराना 78-75 के कुल कित्ता 9, कुल रकबा 3.43 हैक्टर का निर्णय दिनांक 21.6.2022 को जारी कर बंटवारा करने हेतु तहसीलदार केकडी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार केकडी ने बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है:-

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा(है0)	किस्म
1.	खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी. आई शाखा केकडी	47	0.21	नहरी 2
		586	0.58	बा.1
		585/1	0.04	बा.1
		1168	0.31	चा.1
		कित्ता 4	रकबा 1.14	
2.	सीता देवी पत्नि लादू हि. 1/4 राजू दिलखुश पिता लादू हिस्सा 1/2 अनिता देवी पुत्री लादू हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार	492	0.20	नहरी 2
		493	0.18	नहरी 2
		585/2	0.05	बा.1
		1167	0.14	चा.1
		कित्ता 4	रकबा 0.57	
3	हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई शाखा केकडी	583	0.62	बा.1
		584	0.96	बा.1
		585/3	0.14	बा.1
		कित्ता 3	रकबा 1.72	

तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव में वादी का हिस्सा लाल रंग से दर्शित किया गया है जबकि प्रतिवादीगण संख्या 5 का हिस्सा हरा रंग से दर्शित किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का हिस्सा नीला रंग से दर्शित किया गया है। तहसीलदार केकडी द्वारा अवगत कराया गया कि सहखातेदार मौके पर उपस्थित रहे। उनके हस्ताक्षर करवाये गये। वकील पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया।



उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)


पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1.	खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई शाखा केकड़ी	47	0.21	नहरी 2
		586	0.58	वा.1
		585/1	0.04	वा.1
		1168	0.31	चा.1
		किता 4	रकबा 1.14	
2.	सीता देवी पत्नि लादू हि. 1/4 राजू दिलखुश पिता लादू हिस्सा 1/2 अनिता देवी पुत्री लादू हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार	492	0.20	नहरी 2
		493	0.18	नहरी 2
		585/2	0.05	वा.1
		1167	0.14	चा.1
		किता 4	रकबा 0.57	
3	हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई शाखा केकड़ी	583	0.62	वा.1
		584	0.96	वा.1
		585/3	0.14	वा.1
		किता 3	रकबा 1.72	

तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी मे अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरिकेन अपना -अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




 (धिकार पत्रावलीकारी
 केकड़ी अधिकारी
 केकड़ी, (अजमेर)

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा निवासी मीणो का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
---वादी

बनाम

1. अनिता पुत्री लादू जाति मीणा।
2. दिलखुश पुत्र लादू जाति मीणा।
3. राजू पुत्र लादू जाति मीणा।
4. सीता पत्नि लादू जाति मीणा।
5. हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा।
निवासीगण मीणो का नयागांव तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर।

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,92ए एवं 209 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 86/2022 (2022/267)

निर्णय दिनांक:- 20.09.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री नवल किशोर पारीक वकील वादी पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुकम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,92ए,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया जाकर आराजी ग्राम नयागाँव तहसील केकडी के खाता संख्या नया-पुराना 78-75 के खसरा संख्या 1167, 1168, 47, 492, 493,583, 584, 585, 586 कुल किता 9, कुल रकबा 3.43हैक्टर निर्णय दिनांक 21.6.2022 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
1.	खेमा पुत्र मेदा जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एस.बी.आई शाखा केकडी	47	0.21	नहरी 2
		586	0.58	बा.1
		585/1	0.04	बा.1
		1168	0.31	चा.1
		किता 4	रकबा 1.14	
2.	सीता देवी पत्नि लादू हि. 1/4 राजू, दिलखुश पिता लादू हिस्सा 1/2 अनिता देवी पुत्री लादू हिस्सा 1/4 जाति मीणा सा.देह खातेदार	492	0.20	नहरी 2
		493	0.18	नहरी 2
		585/2	0.05	बा.1
		1167	0.14	चा.1
		किता 4	रकबा 0.57	
3.	हजारी देवी पत्नि रामनिवास जाति मीणा सा.देह खातेदार राहिन एस. बी.आई शाखा केकडी	583	0.62	बा.1
		584	0.96	बा.1
		585/3	0.14	बा.1
		किता 3	रकबा 1.72	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम करे। इस आशय का डिकरी पर्चा जारी किया जाता है खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।



(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)